

	<p>35. (1) प्रशासक यदि वह उचित समझे तो नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति के और ग्राम साधारण निकाय के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी अथवा किसी भी सम्पत्तियों पर ग्राम परिषद के निर्देश, प्रबन्धन और नियंत्रण रख सकते हैं अर्थात् –</p> <p>(क) खुला स्थान, बेकार, रिक्त और चरागाह जो निजी सम्पत्ति नहीं हैं और नदी का किनारा;</p> <p>(ख) सार्वजनिक सड़क और गलियाँ;</p> <p>(ग) सार्वजनिक नहर, जल मार्ग, झुँआ, तालाब, टैंक (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई टैंक) सार्वजनिक झरना, जलाशय, टैंक, फवारा कृत्रिम जल सेतु और इससे लगा हुआ कोई भूमि (निजी सम्पत्ति न होना) इससे लगा हुआ कोई सार्वजनिक टैंक अथवा तालाब और भूमि।</p> <p>(घ) सार्वजनिक मल व्यवस्था, नालियाँ, नालियों का निर्माण, टनल्स और पुलिया और इससे सम्बन्ध रखने वाले अन्य वस्तुएँ और मल निकासी कार्य;</p> <p>(ड) गन्दा पानी, कूड़ा करकट और बदबूदार पदार्थ जो गलियों में जमा रहता है अथवा ग्राम परिषद द्वारा गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, मल जल होदी और अन्य रथानों एकत्र करना ; और</p> <p>(च) सार्वजनिक लैप्प, लैप्प पोर्ट और इससे संलग्न अथवा सम्बन्धित साधान (उपकरण)</p> <p>(2) सभी मार्केटों और मेलों अथवा इसके समान अन्य कार्य जो सार्वजनिक भूमि पर आयोजित होता है, को ग्राम परिषद द्वारा नियमित किया जाना होगा तथा ग्राम साधारण निकाय, ग्राम परिषद निधि में सभी बकाया उगाही अथवा इसके सम्बन्ध में अधिरोपित राशि प्राप्त करेगी।</p>	ग्राम परिषद के निर्देशन, प्रबन्धन और नियंत्रण के अन्तर्गत रखी गई सम्पत्तियाँ
	<p>36. (1) इस विनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमावली के अधीन ग्राम परिषद निम्न उगाही कर सकती –</p> <p>(क) भवन के मालिकों अथवा अधिकारियों से कर;</p> <p>(ख) व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग्स और रोजगार;</p> <p>(ग) गाँव की सीमा के भीतर रखे यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों को छोड़ कर अन्य वाहनों पर कर;</p> <p>(घ) गाँव की सीमा के भीतर पशुधन की बिक्री पर कर;</p> <p>(ड) श्रियेटर अथवा प्रदर्शनी पर मनोरजन कर;</p>	कर जिसे लागू किया जा सकता है